

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल मोप्र० गवालियर

अपील कमाक

/ 2016 जवलपुर ३१वीता - ३८८४ - I - 16

24

लटोरीलाल धुर्व पिता श्री छोटेलाल धुर्व निवासी
ग्रम मुकनवारा थाना बरगी तहसील व जिला
जवलपुर म.प्र.।

.....अपीलार्थी

माननीय राजस्व मंडल
द्वारा आनंद वि. / ६८१६

प्रस्तुत

संख्या १६/१६

५२४
१६.११.१६

विरुद्ध

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
- अनुपम जैन पिता श्री आनंद जैन निवासी 302/बी,
तिलवारा रोड शास्त्री नगर चौक के पास गढ़
तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 मोप्र० भू-राजस्व संहिता 1959 पारित अधीनस्थ न्यायालय
कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क १५७/अ-२१/२०१५-२०१६ मे पारित आदेश दिनांक
24.10.2016 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपचारो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम नुनपुर प.हं.नं. 70 रा.नि.मं.चरगवा तहसील शहपुरा जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 351/1, 351/3 रकवा कमशः 0.500, 0.300हेठो भूमि अनावेदक विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्रय हेतु प्रयोग्य रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे।

मा.

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3884/1/2016

जिला—जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषक एवं आवेदक के हस्ताक्षर
४-१२-२०१६	यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 157/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
2-	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम नुनपुर प.ह.नं. 70 रानीगंगा तहसील शहपुरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 351/1, 351/3 रकवा क्रमशः 0.500, 0.300 हें उबड़—खाबड़ होने एवं अन--उपजाउ होने के कारण भूमि को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र से कलेक्टर जवलपुर प्रकरण के 157/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया जाकर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 24.10.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया इसी आदेश से परिवर्दित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।	
3-	अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
4-	अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 351/1, 351/3 रकवा 0.500, 0.300 है।	

B.M.

के विकास की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि भूमि कम उपजाउ है फसल पैदा नहीं हो पाती है कृषि हेतु अनुपयुक्त है अपीलार्थी मोजा तिन्हेटा एवं मोजा देवरी की भूमि को कृषि योग्य बनाने उसके विकास एंव सिचाई एंव कृषि उपकरणों आदि के साधन बनाने हेतु एंव अन्य आवश्यक कार्यों हेतु पेसो की आवश्यकता है। जिसके कारण विकास की जाने वाली भूमि के विकास उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एंव भूमि विकास से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बना सकेगा। भूमि विकास का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकास अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विकास की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकास की अनुमति मांगी गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के हिता को ध्यान में रखे वगेर ही मनमाने पूर्ण तरीके से प्रकरण को निरस्त करने में बैधानिक भूल की है जो न्याय संगत नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकास की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-०८-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू-राजस्व संहिता ,1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया –उपबंध आकर्षित नहीं होते–भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन–का सिद्धात –नवीन उपबंध का अंतःस्थापन –भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया –ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा०नि०183में

४४

✓

व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(मोप्र०)-धारा

165(7-ख) सरकारी पट्टेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये —भूमि का विक्रय कर सकता है—कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 157/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम नुनपुर प.ह.नं 70 रा.नि.मं चरगवा तहसील शहपुरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 351/1, 351/3 रकवा कमशः 0.500,0.300 हेठों के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का क्रय—विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का क्रय —विक्रय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा।

3—केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

1/14

सदस्य